भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3166 का उत्तर

गोरखपुर में समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना

3166. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोरखपुर में समर्पित माल गलियारा (डीएफसी) परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) डीएफसी परियोजना के तहत कितनी नई रेलवे लाइनों का निर्माण या उन्नयन किया जा रहा है;

(ग) क्षेत्र में माल की आवाजाही और आर्थिक विकास पर डीएफसी के अपेक्षित लाभ क्या हैं;

(घ) गोरखपुर में मौजूदा परिवहन नेटवर्क के साथ नए बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) डीएफसी परियोजना के कारण गोरखपुर में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की क्या संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल मंत्रालय ने दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) यथा लुधियाना से सोननगर तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) (1337 किमी) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दादरी तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) (1506 किमी)

का निर्माण कार्य शुरू किया है। कुल 2843 कि.मी. में से 2741 मार्ग किलोमीटर (96.4%) को कमीशन एवं परिचालित किया गया हैं।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना का परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे डबल स्टैक कंटेनर (डीएससी) गाड़ियों, अधिक धुरा भार वाली गाड़ियों, पश्चिमी पत्तनों द्वारा उत्तरी क्षेत्र के आंतरिक इलाकों में त्वरित पंहुच हो सकेगी और नए टर्मिनलों का विकास हो सकेगा/डीएफसी के साथ उद्योग जुड़ सकेंगे। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुख्यतः पूर्वी भारत से खनिज यातायात की पूर्ति करेगा। इन विकास कार्यों से लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/क्षेत्र-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य/क्षेत्र की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम स्थान संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों एवं वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड तथा धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

गोरखपुर में संपर्कता को बेहतर करने के लिए, 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाएं (i) महाराजगंज के रास्ते आनंदनगर-घुघुली नई लाईन (53 कि.मी.), (ii) सहजनवा-दोहरीघाट नई लाइन (81 कि.मी.), (iii) गोरखपुर-वाल्मीकिनगर (96 कि.मी.) दोहरीकरण और (iv) डोमिनगढ़-गोरखपुर-गोरखपुर कैंट-कुसम्ही तीसरी लाइन तथा गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण (21 कि.मी.) स्वीकृत की गई हैं। इससे 85 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन होगा।

इसके अलावा, 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 5,874 किमी कुल लंबाई की 92,001 करोड़ रुपये लागत वाली 68 रेल परियोजनाएं (16 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 49 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,313 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 28,366 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है। कार्य की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	कमीशन की गई कुल लंबाई (किमी में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	16	1740	297	8672
आमान परिवर्तन	3	261	0	26
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	49	3873	1016	19668
कुल	68	5874	1313	28366

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन इस प्रकार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,109 करोड़ रुपये/वर्ष
2024-25	19,848 करोड़ रुपये (17 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और वर्ष 2014-24 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	996 कि.मी.	199.2 कि.मी./वर्ष
2014-24	4,902 कि.मी.	490.2 कि.मी./वर्ष (2 गुना से अधिक)

रेल परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना, (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता, (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर धन के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (iv) क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी क्लीयरेंस और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों एवं संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है। इसके परिणामस्वरूप 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

*****